संख्या-588/2023/02/22-2-2023-17(480)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री दुली चन्द, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-40350/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-30-12-2022) दिनांक-30-12-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री दुली चन्द, म0नं0-1-बी-1069 सेक्टर-3, माधवपुरम आवास विकास, थाना-ब्रम्हपुरी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक-14-09-2003 को वादी की पुत्री काजल (ढाई वर्ष) खेल रही थी, जिसे वादी का किरायेदार बन्दी विजय शराब के नशे में आया और काजल को गोद में लेकर खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-943/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-3, मेरठ के आदेश दिनांक 27-05-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.12.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष 03 माह 11 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के रिहाई उपरान्त अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा व अप्रिय घटना रोकने के दृष्टिगत जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-14-09-2003 को वादी की पुत्री काजल (ढाई वर्ष) खेल रही थी, जिसे वादी का किरायेदार बन्दी विजय शराब के नशे में आया और काजल को गोद में लेकर खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी का शातिर किस्म का व्यक्ति होने, दोनो पक्षों में अप्रिय घटना कारित होने, बन्दी के फरार होने की सम्भावना होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुली चन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय (बन्दी संख्या-12097) पुत्र श्री दुली चन्द्र, निवासी जनपद-मेरठ को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-588/2023/02(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित अवमानना याचिका संख्या-592/2022 श्रवण कुमार व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य सहबद्ध अवमानना याचिका सं0-602/2022 (रिट यचिका (क्रिमि0) सं0-528/2021 देवनाथ व 24 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 21-02-2022) बलिराम चौधरी व 24 अन्य बनाम अवनीश अवस्थी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02-12-2022 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-588/2023/02/22-2-2023-17(480)/2023

दिनांक 27 सितम्बर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री दुली चन्द, म0नं0-1-बी-1069 सेक्टर-3, माधवपुरम आवास विकास, थाना-ब्रम्हपुरी, जनपद-मेरठ का निवासी है। दिनांक-14-09-2003 को वादी की पुत्री काजल (ढाई वर्ष) खेल रही थी, जिसे वादी का किरायेदार बन्दी विजय शराब के नशे में आया और काजल को गोद में लेकर खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-943/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376(2) के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-3, मेरठ के आदेश दिनांक 27-05-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.12.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष 03 माह 11 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के रिहाई उपरान्त अपराध करने की सम्भावना होने बन्दी के पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा व अप्रिय घटना रोकने के दृष्टिगत जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा बन्दी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक-14-09-2003 को वादी की पुत्री काजल (ढाई वर्ष) खेल रही थी, जिसे वादी का किरायेदार बन्दी विजय शराब के नशे में आया और काजल को गोद में लेकर खिलाते हुये मकान की छत पर ले जाकर बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी का के शातिर किस्म का व्यक्ति होने, दोनो पक्षों में अप्रिय घटना कारित होने, बन्दी के फरार होने की सम्भावना होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री दुली चन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।